कैलाश सिंह बनाम ... सिंह वगै.

प्रा.पत्र अस्थाई निषे. मो.नं. — 80/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
24-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीक उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 12-12-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीक उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 4-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
04.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर पूर्व में दिनांक 31.10.2022 को आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिग पेश की थी परन्तु इसके पश्चात् तीन तारीख पेशियॉ दिये जाने के उपरान्त भी श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने वकालतनामा पेश नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 को तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने से आज न्यायालय द्वारा वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चूकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.09.2022 को दौराने दावा कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 1355 से 1357 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7500 हैक्टर तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर को प्रार्थीगण के हक हिस्से तक मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 04/01/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.01.13 15:19:16 IST
Reason: SelfAttested